GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1180
(TO BE ANSWERED ON 14.12.2022)

FACE AUTHENTICATION TECHNOLOGY

1180. SHRI RITESH PANDEY:
SHRI RAJU BISTA:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether the Government has introduced face authentication technology for the pensioners to submit a 'Life Certificate' and if so, the details thereof along with the progress made in this regard;
(b) the number of pensioners who are required to submit life certificate;
(c) whether it is mandatory for pensioners to use face authentication technology for the life certificate and if so, the details thereof;
(d) whether the pensioner will be denied the benefits of a pension if he/she refuses to submit a Life Certificate through Jeevan Pramaan App by using the face authentication facility and if so, the details thereof; and
(e) whether the Government has taken any step to provide assistance for those Pensioners from the mountain regions who are unable to access technology due to remote location, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): Yes Sir. The Government has introduced Face Authentication Technology in November 2021 for the pensioners to submit a Life Certificate. From 1st October to 6th December 2022, total 2,99,026 Life Certificate have been generated by using Face Authentication for Central Government pensioners in comparison to 72,338 in previous year.

(b): All Central Government pensioners are required to submit life certificate.

(c): No Sir. Face Authentication is not mandatory.

(d): No Sir. The pensioner can submit life certificate by other modes also.

(e): Yes Sir. India Post and Payment Bank (IPPB) provide doorstep service for submission of life certificate of central Government pensioners. IPPB is utilizing its national network of more than 1,36,000 access points in Post Offices and more than 1,89,000 Postmen & Gramin Dak Sevaks with smart phones and biometric devices to provide Doorstep Banking Services.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या - 1180

दिनांक 14-12-2022 को उत्तर देने के लिए

चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी

1180. श्री रितेश पाण्डेय:
श्री राजू बिष्ट:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए 'जीवन प्रमाणपत्र' जमा करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से इनकार पर पेंशनभोगी को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में दूरस्थ स्थित होने के कारण प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं रखने वाले पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हां, महोदय। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए नवंबर 2021 में चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी शुरु की है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करके 1 अक्टूबर से 6 दिसंबर

जारी...2/-

https://www.staffnews.in

2022 तक, विगत वर्ष के 72,338 की तुलना में, कुल 2,99,026 जीवन प्रमाणपत्र जनरेट किए हैं।

(ख) केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है।

(ग) जी नहीं, महोदय। चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है।

(घ) जी नहीं, महोदय। पेंशनभोगी अन्य तरीकों से भी जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है।

(ङ) जी हां, महोदय। इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक(आईपीपीबी) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों हेतु जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा प्रदान करता है। इंडिया पोस्ट एंड पेमेंट बैंक(आईपीपीबी) डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डाकघरों में 1,36,000 से अधिक एक्सेस पॉइंट्स और स्मार्ट फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के साथ 1,89,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग कर रहा है।

****

https://www.staffnews.in